फौ.नि.प्र.सं. 121 / 2019
सरकार बनाम इस्लाम मंसूरी

16.02.2026

सहायक अभियेाजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त इस्लाम मंसुरी गिरफ्तारी वारंट की अनुपालना में आज न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया, जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त इस्लाम मंसूरी गत पेशी दिनांक 02.02.2026 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही पृथक से खोली गयी थी।

अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई गयी।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपने जमानत प्रार्थना पत्र में बताया है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त गत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर जरिए गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किए जाने के आदेश पारित किए हैं। अभियुक्त आईन्दा तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। अभियुक्त न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करता है। कहीं भागकर जाने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध किया और कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह सामने आया है कि अभियुक्त इस्लाम मंसूरी गत पेशी दिनांक 02.02.2026 को न्यायालय में अकारण उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा जमानत मुचलके निरस्त किए गए थे। अभियुक्त पर धारा 341, 323, 458, 394 भा.दं.सं. का आरोप है। अभियुक्त गिरफ्तारी वारंट की पालना में न्यायालय में उपस्थित हो गया है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्त इस्लाम मंसूरी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त इस्लाम मंसूरी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रकिया संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 70,000/-- रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ न्यायालय में पेश कर तस्दीक करावें कि दौराने विचारण वह प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, गवाहान को डरायेगा, धमकाएगा नहीं, अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा व बिना न्यायालय की इजाजत के भारत छोड़कर नही जाएगा तो अभियुक्त इस्लाम मंसूरी को जमानत पर आजाद किया जावे अन्यथा जे.सी. में ही रखा जावे। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे।

बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, बयान आदि के आधार पर अभियुक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)

इस्लाम मंसूरी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 458, 394 भा.दं.सं. के तहत् अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 458, 394 भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पृथक् से लिखित रुप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

जारी
17/2/26

पैरवी पक्ष के प्रथम तीन गवाहान को जरिए सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली पेश होने साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 21/2/26 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)